तीस्ता (चरण-VI) जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट)
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

सितम्बर 2023 के समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

<table>
<tr><td>1</td><td>परियोजना का नाम</td><td>तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>परियोजना का प्रकार</td><td>जलविद्युत परियोजना (रन आफ दि रिवर स्कीम)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख
क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

ख) वन संबंधी स्वीकृति</td><td>क) No. J-12011/55/2006-IA.I दिनांक 21.09.2006 एवं No. J-12011/55/2006-IA.I (R) दिनांक 14.08.2020
ख)
<table>
<tr><th>पत्र संख्या</th><th>दिनांक</th><th>वन क्षेत्र (ha)</th></tr>
<tr><td>F. No. 8-140/2006-FC</td><td>23.05.2008 एवं 12.03.2021</td><td>89.4266</td></tr>
<tr><td>No. 5-WBB009/2007-BHU</td><td>11.09.2007</td><td>0.6935</td></tr>
<tr><td>No. 3-SK B 062/2008-SHI/2274-75</td><td>27.10.2008</td><td>0.096</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)</td><td>90.2161</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>स्थान
क) जिला (जिले)
ख) राज्य
ग) अक्षांश
घ) देशांतर</td><td>
गंगटोक और नामची
सिक्किम
27°14’29.98”N (बैराज); 27°10’42” N (पावर हाउस)
88°28’35.39” E (बैराज); 88°30’40” E (पावर हाउस)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पत्र-व्यवहार का पता:
क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित)

ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)</td><td>
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
लैन्कों तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड,
तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना,
बालुतार, पी ओ सिंगतम, जिला-गंगटोक - 737134।
फोन: 03592 - 247221 (O)

कार्यपालक निदेशक
पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग,
एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर,</td></tr>
</table>

		सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 **फोन:** 0129-2254674 ईमेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in
6	**पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण**	**अनुलग्नक-I** के अनुसार।
7	**परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)** क) **जलमग्न क्षेत्र**: वन क्षेत्र गैर-वन क्षेत्र ख) **अन्य**	वन भूमि : 36 हेक्टेयर गैर वन भूमि (निजी) : 0.448 हेक्टेयर कुल : 36.448 हेक्टेयर 1. 54.2161 हेक्टेयर वन भूमि (भूमिगत 21.9971 हेक्टेयर वन भूमि सहित)। 2. सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसपीडीसी) द्वारा अधिग्रहित निजी भूमि (लगभग 34 हेक्टेयर) और आगे एलटीएचपीएल को वाणिज्यिक संचालन तिथि से 35 साल की लीज अवधि के लिए स्थायी कार्यों, मक डंपिंग, सड़क, निर्माण सुविधा, और 3. एलटीएचपीएल द्वारा सीधे अल्पकालिक पट्टे पर ली गई निजी भूमि (लगभग 11.3657 हेक्टेयर) 3.5/4/4.5/5/6/7 वर्ष की अवधि के लिए।
8	**जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण:** क) अनु.जा./अनु.ज.जा./आदिवासी ख) अन्य	तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है। भूमि के कुछ हिस्से के अधिग्रहण से 111 परिवारों की करीब 400 से 500 की आबादी प्रभावित हुई है। परियोजना की ईआईए रिपोर्ट अनुसार, परियोजना से प्रभावित परिवार जाति का विवरण निम्नानुसार है : • उनकी निजी भूमि का केवल एक हिस्सा ही अधिग्रहण के दायरे में आया है, कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण में कोई आवास शामिल नहीं है इसलिए कोई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

जाति श्रेणी	संख्या
(a) अनुसूचित जनजाति (एसटी)	41
(b) अनुसूचित जाति (एससी)	6
(c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)	8
(d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	55
(e) अन्य	1
कुल	**111**

		• परियोजना के आसपास के क्षेत्र में, प्रमुख भूमि कृषि है । क्षेत्र के निवासियों की आय का मुख्य स्रोत निर्वाह खेती है, जो छोटे पैमाने की व्यावसायिक गतिविधियों द्वारा पूरक है । प्रमुख खेती वाली फसलें धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि हैं । मौसमी वनस्पति जैसे क्रूस, गोभी, फूलगोभी, बीन्स, खीरा आम तौर पर खेती की जाती है । नकदी फसलें जैसे अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची आदि आम हैं । • साइट पर या उस क्षेत्र के भीतर कोई पुरातात्विक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संसाधन नहीं हैं जो निर्माण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
9	**वित्तीय ब्यौरा** क) परियोजना की लागत, जैसा कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष: ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च: ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन: घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च:	₹ 5,748.04 करोड़ जुलाई 2018 पीएल, जिसमें ₹ 977.09 करोड़ की आईडीसी और एफसी और ₹ 907 करोड़ राशि (निवेश अनुमोदन के अनुसार) शामिल है । ₹ 2949.22 करोड़ (30.09.2023 तक) । यह राशि पूर्ववर्ती एलटीएचपीएल के अधिग्रहण की तारीख यानी 09.10.2019 से एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा किए गए व्यय से संबंधित है। ₹ 3547.44 लाख (ईएमपी और उसके बाद के संशोधन के अनुसार) ₹ 3079.23 लाख (विवरण के लिए अनुबंध-I)
10	**वन भूमि की आवश्यकताएं:** क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	• दिनांक 23.05.2008 को 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि (67.4295 हेक्टेयर सतही भूमि और 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमि) एमओईएफ द्वारा वन स्वीकृति प्रदान किया। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 09.10.2019 से एलटीएचपीएल के अधिग्रहण के बाद, एफ. सं. 8-140/2006-एफसी दिनांक 12.03.2021 के तहत एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में वन मंजूरी स्थानांतरित कर दी गई है । • एमओईएफ, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने पत्र दिनांक 11.09.2007 द्वारा तारखोला में लिंक रोड और पुल के लिए 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी । एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन

		मंजूरी का हस्तांतरण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफ एवं सीसी, कोलकाता में विचाराधीन है । • एमओईएफ, आरओ, शिलांग ने पत्र दिनांक 27.10.2008 द्वारा तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना की कॉलोनी और अन्य स्थानों पर जलापूर्ति करने हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिए 0.096 हेक्टेयर को वन मंजूरी दी । एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में 0.096 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी का हस्तांतरण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफ एवं सीसी, कोलकाता में विचाराधीन है ।
11	**निर्माण की स्थिति :** क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / या नियोजित) ख) पूर्ण होने की तिथि (वास्तविक और/या नियोजित)	लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च 2007 और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा पुनः आरंभ करने की तिथि : 08.03.2019 यानी भारत सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन की तिथि । नियोजित: अगस्त 2026
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है:	• परियोजना मार्च 2007 में एलटीएचपीएल द्वारा शुरू की गई थी । हालांकि, परियोजना का निर्माण 2012 से अटका हुआ था और माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संकल्प योजना के अनुमोदन के बाद दिनांक 09.10.2019 को एलटीएचपीएल का अधिग्रहण कर लिया गया । • परियोजना का लंबित निर्माण कार्य लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा किया जा रहा है ।
13	**स्थल के दौरों का ब्यौरा:** क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	• अतिरिक्त निदेशक (आईए), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.09.2009 के पत्र द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया गया था । कुछ बैठकें आयोजित की गई थीं । हालाँकि, परियोजना के अटक जाने के कारण निगरानी समिति की आगे की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं । • एमओईएफ एवं सीसी के पत्र संख्या F. No. J-12011/35/2006-IA.I (R) Pt1 दिनांक 25.05.2022 के माध्यम से एक नई बहु-अनुशासनात्मक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया है । • पुनर्गठित बहु-अनुशासनात्मक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया एवं पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई ।

14	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट :	**अनुलग्नक- II** के रूप में संलग्न ।

अनुलग्नक-I

तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का विवरण

क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना का नाम	ईएमपी की लागत # (₹ लाख)	व्यय की गई राशि (₹ लाख)	उपयोगिता प्राप्त (₹ लाख)
1	सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	179.00	0.00	0.00
2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (संशोधित)	2410.18*	2410.18	1091.27
3	प्रतिपूरक वनरोपण योजना	114.65	114.65	114.65
4	जैव विविधता संरक्षण (मछली प्रबंधन योजना सहित)	119.12*	119.12	95.34
5	मछली प्रबंधन योजना	170.00*	170.00	0.00
6	मृदा संरक्षण और वन संरक्षण योजना	183.53*	183.53	0.00
7	मुफ्त ईंधन प्रावधान	98.85	0.00	0.00
8	स्पोईल टिप्स के लिए पुनर्स्थापना योजना	81.61	0.00	0.00
9	खदान स्थलों के लिए बहाली योजना	35.97	0.00	0.00
10	लैंडस्केप योजना	48.91	0.00	0.00
11	परियोजना क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टी	13.58	0.00	0.00
12	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	13.25	2.96	2.96
13	फसल मुआवजा	78.79	78.79	78.79
	कुल	**3547.44**	**3079.23**	**1383.01**
ईएमपी लागत में एनपीवी की राशि (₹ लाख 568) और पट्टे पर ली गई भूमि की लागत शामिल नहीं है।				

एमओईएफ एवं सीसी द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट और राज्य सरकार द्वारा बाद में संशोधन के अनुसार।

* एलटीएचपीएल द्वारा धनराशि को वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार के सिक्किम कैम्पा एवं मत्स्य पालन निदेशालय, सिक्किम सरकार के पास जमा कर दी गई है।

अनुलग्नक-II

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट

क्रम	भाग क: विशिष्ट शर्तें	अनुपालन:
i)	ईएमपी में प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण योजना को चिन्हित स्थानों पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	• ईएमपी के अनुसार, जैव विविधता संरक्षण योजना की आवंटित राशि अर्थात ₹169.12 लाख जिसमें मछली प्रबंधन के लिए ₹ 50 लाख शामिल हैं, नोडल एजेंसी, वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार के पास दिनांक 14.11.2009 को जमा किए गए। • ईएमपी के अनुसार, मृदा संरक्षण और वन सुरक्षा योजना के लिए आवंटित राशि, यानी ₹183.53 लाख, वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार को जमा की गई थी । • राज्य वन विभाग ने पत्र दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से 31.03.2020 तक कुल ₹ 119.12 लाख की निधि में से जैव विविधता संरक्षण योजना के लिए ₹ 95.34 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया । • वन विभाग द्वारा अतिक्रमियों की जांच के लिए थलथले गांव (पामफोक ब्लॉक) में एक चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। आसपास के क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए डायवर्टेड वन भूमि का सीमांकन और बाड़ लगाना इस उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया गया था । हालांकि, राज्य वन विभाग द्वारा मृदा संरक्षण और वन संरक्षण योजना को अभी तक एपीओ में शामिल नहीं किया गया है ।
ii)	प्रवासी मछलियों के प्रसार के लिए, दिनांक 18 अगस्त 2006 के पत्र के अनुसार प्रस्तावित एक मछली फार्म/हैचरी विकसित की जाएगी।चूंकि कैद में महसीर मछली का प्रजनन कठिन होता है, इसलिए हैचरी में महसीर के प्रजनन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। ।	• शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर), भीमताल (पूर्व में शीत जल मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र) को परियोजना परामर्श कार्य प्रदान किया गया। डीसीएफआर, भीमताल के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र का दौरा किया और मछली फार्म के विकास के लिए स्थल की पहचान की। • जैव विविधता प्रबंधन योजना के तहत मछली प्रबंधन के लिए राज्य वन विभाग को ₹ 50 लाख जमा किए गए । • परियोजना द्वारा पत्र दिनांक 11.01.2020 के माध्यम से राज्य वन विभाग से मत्स्य प्रबंधन योजना की स्थिति प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया । • निदेशक (मत्स्य पालन), सिक्किम सरकार ने दिनांक 10.08.2021 के पत्र द्वारा नवीनतम सिक्किम दर अनुसूची, 2021 के आधार पर मत्स्य फार्म और हैचरी और देशी प्रजातियों के पालन के कार्यान्वयन के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें लगभग ₹ 170 लाख के संशोधित बजट अनुमान और अतिरिक्त निधि के लिए मांग नोट लगभग ₹120 लाख हेतु प्रेषित किया ।

		• मत्स्य फार्म-सह-हैचरी इकाई की स्थापना के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, एलटीएचपीएल और मत्स्य विभाग, सिक्किम सरकार के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.12.2021 को किया गया था । राज्य मत्स्य विभाग द्वारा मछली फार्म-सह-हैचरी इकाई की स्थापना के लिए चित्त्रे, बोरोंग-फामटम जीपीयू, रावंगला के पास, जिला नामची में एक वैकल्पिक साइट प्रस्तावित की गई है क्योंकि इस साइट पर उपलब्ध भूमि (क्षेत्रफल 0.1460 हेक्टेयर) राज्य मत्स्य विभाग की ही है । • परियोजना पत्र दिनांक 14.12.2021 के माध्यम से राज्य मत्स्य विभाग से संशोधित मांग पत्र और शासनादेश प्रपत्र के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । • अतिरिक्त निदेशक (मत्स्य पालन) पत्र दिनांक 20.12.2021 द्वारा नामची जिले के चित्त्रे गांव में फिश फार्म-कम-हैचरी यूनिट की स्थापना के लिए संशोधित प्रस्ताव ₹1,69,99,987/- (~रु 170 लाख) के संशोधित बजट अनुमान के साथ मांग पत्र प्रस्तुत किया और ₹ 1,19,99,987/- (~रु. 120 लाख) की अतिरिक्त निधि की माँग प्रेषित किया । • कुल राशि रु 170 लाख में से रु. 120 लाख की शेष राशि रु. मत्स्य पालन निदेशालय, सिक्किम सरकार के खाते में दिनांक 30.03.2022 को परियोजना द्वारा जमा की गयी । • मत्स्य फार्म-सह हैचरी के निर्माण के लिए राज्य मत्स्य विभाग द्वारा 25.01.2023 को कार्य अवार्ड कर दिया गया था तथा कार्य प्रगति पर है ।
iii)	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, चार वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए । योजना अनुबंध-III के रूप में संलग्न है:	• जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के लिए ₹981.73 लाख की राशि एलटीएचपीएल द्वारा सिक्किम कैम्पा में जमा की गई थी । • राज्य वन विभाग ने वेतन दरों में वृद्धि के कारण कैट योजना की लागत को संशोधित किया और पत्र संख्या 389/जीओएस/एफईडब्ल्यूएमडी दिनांक 02.06.2012 के माध्यम से ₹1831.95 लाख की संशोधित लागत प्रस्तुत की । इस प्रकार, सिक्किम कैम्पा में कैट योजना लागत में ₹ 850.22 लाख के अंतर का भुगतान करना आवश्यक था । • ₹ 141.00 लाख की पहली किस्त का भुगतान एलटीएचपीएल द्वारा पत्र दिनांक 11.08.2012 के माध्यम से दिनांक 08.08.2012 को पीसीसीएफ-सह-सचिव, विभाग के पक्ष में किया गया था । परियोजना का काम अटक जाने के कारण पूर्ववर्ती एलटीएचपीएल द्वारा ₹ 709.22 लाख का शेष भुगतान जमा नहीं किया गया था । • राज्य वन विभाग ने पत्र दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से एलटीएचपीएल द्वारा जमा किए गए ₹ 1122.73 लाख में से

		विभिन्न प्रबंधन योजनाओं के लिए ₹ 1091.27 लाख के उपयोग किए गए फंड का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग 31.03.2020 तक कैट योजना के कार्यान्वयन में किया गया है। • परियोजना ने पत्रों दिनांक 09.04.2020 और 11.06.2021 के माध्यम से राज्य वन विभाग से ₹ 709.22 लाख के शेष भुगतान के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। • एपीसीसीएफ-सह-नोडल अधिकारी (एफसीए), वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार ने संशोधित कैट प्लांट की शेष लागत के रूप में सिक्किम कैम्पा में जमा करने के लिए पत्र दिनांक 11.03.2022 द्वारा ₹ 12,87,44,747/- की मांग की। • लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा दिनांक 26.04.2022 को शेष संशोधित राशि सिक्किम कैम्पा में ₹ 12,87,44,747/- (यूटीआर संख्या एसबीआईएन 522116286859) एनईएफटी के माध्यम से जमा की। • इस प्रकार, तीस्ता-VI की कैट योजना के लिए कुल 2410.18 लाख रुपये जमा किए गए, जिसमें से 1091.27 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया।
iv)	भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, निकट पर्यवेक्षण में बड़ी सावधानी के साथ टनलिंग की जानी चाहिए।	भूस्खलन संभावित क्षेत्र के लिए, उचित नियंत्रित विस्फोट या यांत्रिक तरीकों से और पर्याप्त समर्थन प्रणाली प्रदान करके सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है।
v)	एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जातिअनुसूचित / जनजाति वर्ग के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और एक महिला लाभार्थी के प्रतिनिधि शामिल हों।	• अतिरिक्त निदेशक (आईए), एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 03.09.2009 द्वारा बहु-विषयक निगरानी समिति गठित की गई थीं। कुछ बैठकें आयोजित की गई थीं। हालाँकि, परियोजना के अटक जाने के कारण निगरानी समिति की आगे की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। • एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली ने दिनांक 25.05.2022 के पत्र के माध्यम से बहुविषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया। • परियोजना ने पत्र दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से सीसीएफ (मुख्यालय), वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार से तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना के लिए पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति की पहली बैठक के संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया। • पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया और पुनर्गठित निगरानी

		समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई।
vi)	जन सुनवाई में परियोजना प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों/प्रतिबद्धताओं का अक्षरश: सम्मान किया जाना चाहिए।	पालन किया जा रहा है ।
vii)	67.4367.43 हेक्टेयर वन भूमि प्राप्त करने के लिए वन मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए और जमा की जानी चाहिए।	• एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या 8-140/2006-एफसी दिनांक 23.05.2008 द्वारा 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि (67.4295 हेक्टेयर सतह भूमि और 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमि) के लिए वन मंजूरी (चरण-II) प्रदान किया गया । • दिनांक 09.10.2019 से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है । उसके बाद एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) से उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम में बदलाव को एमओईएफ एंड सीसी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.03.2021 के पत्र के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया ।
viii)	शुष्क मौसम के दौरान जलीय जीवन के निर्वाह के लिए उपलब्ध पानी का 10% (82.5 क्यूमेक्स) बांध के नीचे की ओर छोड़ा जाना चाहिए ।	ई-फ्लो पर दिनांक 07.09.2020 पर माननीय एनजीटी के आदेशों के मद्देनजर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सिक्किम ने दिनांक 01.10.2022 के पत्र के माध्यम से तीस्ता-VI परियोजना के लिए शुष्क मौसम के दौरान 16.60 क्यूमेक्स के 15% न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) की मात्रा को निर्धारित किया (दिसंबर-मार्च) । बैराज के डिजाइन में उपयुक्त प्रावधान रखा जा रहा है ताकि जलीय जीवन के पोषण के लिए परियोजना के चालू होने के बाद डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 16.60 क्यूमेक्स का ई-प्रवाह छोड़ा जा सके ।
ix)	यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य संगठन से कोई अन्य मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए ।	सभी उचित मंजूरी आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया गया है ।
	भाग ख. सामान्य शर्तें	
i	निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों को परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जा सके ।	वर्तमान में ठेकेदार द्वारा लगे हुए जनशक्ति को मेस की सुविधा प्रदान की जा रही है ।
ii	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी) मुहैया करने लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए । श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं ओर मनोरंजन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए ।	• ईंधन (एलपीजी और मिट्टी का तेल) आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय बाजार से ठेकेदारों द्वारा खरीदा जा रहा है । • ठेकेदारों के शिविरों को मनोरंजन सुविधाओं आदि से सुसज्जित किया जा रहा है । • ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
iii	निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें	• काम में लगाने से पहले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। • मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

	कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए ।	• एलटीएचपीएल/ठेकेदारों द्वारा कोविड-19 के लिए मजदूरों का नि:शुल्क टीकाकरण किया गया है ।
iv	उत्खनित सामग्री के डंपिंग स्थल सहित निर्माण क्षेत्र के फैंकने के स्थल को समतल करके, गड्ढों को भरकर, भूनिर्माण आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उपयुक्त वृक्षारोपण के साथ क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए ।	• निर्दिष्ट डंप यार्डों में कचरा डंप करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय किए जाते हैं । • डंपिंग क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रिटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे क्रेट वॉल, आरआरएम वॉल आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं । • डंप करने के बाद क्षेत्रों को समतल किया जा रहा है । • कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, इसलिए साइट की आवश्यकता के अनुसार नालों और नदी खंडों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे क्रेट दीवार और कंक्रीट प्लग प्रदान किए जा रहे हैं । • कार्यों की प्रगति के साथ वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ।
v	उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए ।	ठेकेदारों को कार्य सौंपे जाने के अनुसरण में, ठेकेदारों द्वारा कुछ कार्य पर निष्पादन के साथ-साथ प्रारंभिक तैयारी शुरू की गई है । संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: • सुरक्षा के महत्व के बारे में मजदूरों में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर और नारों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा । • सुरंग बनाने सहित प्रत्येक गतिविधि के लिए मजदूरों और कर्मचारियों को नियमित रूप से सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं । • कर्मचारियों के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और टूल बॉक्स बैठकें आयोजित की जा रही हैं । • सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की जांच और विश्लेषण तुरंत सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है । • कानूनी आवश्यकताओं की स्थिति का आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है । • विभिन्न आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की जा रही है । प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल कराई जाएगी । • स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) ऑडिट आवधिक आधार पर किया जाएगा । • सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जा रही हैं क्योंकि कार्य निष्पादन के प्रारंभिक चरण में हैं । • सभी गतिविधियों की खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन किया जा रहा है और तदनुसार परिचालन नियंत्रण तैयार किया जाएगा । • उचित रोशनी और संवातन प्रणाली स्थापित की जा रही है और सुरंग निर्माण कार्यों के लिए इसे बनाए रखा जाएगा ।

		• राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (4 मार्च) को सुरक्षा अभ्यास के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है । • सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा अधिकारियों को नामित और तैनात किया गया है। • सभी मजदूरों और कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा किट प्रदान की जाती है ।
vi	सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, मिट्टी की बातचीत, गैर सरकारी संगठन आदि के विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बहुविषयक समिति का गठन किया जाना - चाहिए।	• अतिरिक्त निदेशक (आईए), एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 03.09.2009 द्वारा बहु-विषयक निगरानी समिति गठित की गई थीं । कुछ बैठकें आयोजित की गई थीं । हालाँकि, परियोजना के अटक जाने के कारण निगरानी समिति की आगे की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं । • एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली ने दिनांक 25.05.2022 के पत्र के माध्यम से बहुविषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया । • परियोजना ने पत्र दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से सीसीएफ (मुख्यालय), वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार से तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना के लिए पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति की पहली बैठक के संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया । • पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया और पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई।
vii	मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय को समीक्षा करने के लिए छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी चाहिए ।	छह-मासिक निगरानी रिपोर्ट समय-समय पर एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली के साथ एमओईएफ़ & सीसी के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की जाती है। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट दिनांक 31.05.2023 के पत्र के माध्यम से एमओईएफ़ & सीसी के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की गई ।
viii	क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफ, शिलांगकोलकाता के अधिकारी जो / पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, उन्हें परियोजना समर्थकों द्वारा उनके निरीक्षण के दौरान पूरी सुविधाएं और दस्तावेजआंकड़े दिए जाने / चाहिए।	इस शर्त का अनुपालन पूर्ववर्ती एलटीएचपीएल एलईपीएल/द्वारा किया गया था। अब इस शर्त का अनुपालन एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा भी किया जाएगा ।
ix	पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैसर्स लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेडलैंको तीस्ता हाइड्रो पावर / लिमिटेड और सिक्किम सरकार की है।	नोट किया गया । एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करेगी ।

अनुलग्नक- III

जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का विवरण

तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना के लिए पंचवर्षीय जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य योजना								
क्रम सं.	**कार्य की मदें**	**ईकाई**	**प्रथम वर्ष**	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**चतुर्थ वर्ष**	**पंचम वर्ष**	**कुल**
I	**वन भूमि**							
A	**जैविक उपाय**							
1	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन	Ha	20	30	30			80
2	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन	Ha	150	350	350	350		1200
3	औषधीय वृक्षारोपण	Ha	50	50				100
4	औषधीय वृक्षारोपण	Ha	50	50				100
5	भू-स्लाइड क्षेत्रों में बुआई और बूंदाबांदी	Ha				10	10	20
6	कृत्रिम पुनर्जनन	Ha		300	400	400	400	1500
7	सिल्विकल्चर विकास	Ha		30	30	40		100
8	बांस (परेंग बागान)	Ha		30	30	40		100
9	कांटेदार तार की बाड़	km	5	5				10
10	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव	Ha	270	810	810	800	410	3100
11	पंक्तियों में जेट्रोफा के साथ वनस्पति बाड़ लगाना	km	15	10				25
B	**इंजीनियरिंग कार्य**							
1	झोरा प्रशिक्षण सॉसेज दीवार के साथ	m^3	1000	700	300			2000
2	सूखे पत्थर की दीवार	m^3	1200	600	200			2000
3	कैच जल नालीयाँ	m	1400	400	200			2000
4	बल्ली फेंसिंग	Ha	40	10				50
II	**कृषि भूमि**							
A	**जैविक उपाय**							
1	चारा विकास	Ha			200	400	400	1000
2	कृषि वानिकी (200 पौधे प्रति हेक्टेयर)	Ha			200	400	400	1000
3	जेट्रोफा वृक्षारोपण (अकृषि योग्य निचला क्षेत्र)	Ha	100					100
B	**इंजीनियरिंग कार्य**							
1	झोरा प्रशिक्षण सॉसेज दीवार के साथ	m^3	1400	400	200			2000
2	सूखे पत्थर की दीवार	m^3	1400	400	200			2000
3	कैच जल नालीयाँ	m	1400	400	200			2000
4	बल्ली फेंसिंग	Ha	40	10				50